

पत्रावली पत्र डूरी यह धर्मना पत्र नईसी मकर  
 राजाको भी जोर से अर्थात् धारा 136 24 Act  
 इन तर्कों के साथ पत्र किता है कि राजा को सविनय  
 तहसील राजाको की वरमान जमाने से 2070-73  
 के वरसे 141 के व.नं 1220 शक 2-03 वीध  
 पर श्रावणों के दर्ज इल्ले का पत्र पूर्ण (सु)  
 गरी केरा है जिससे वर आपवादि है  
 उनके अथ पूर्व की जमाने की के अवलोकन  
 करने पर पाया है कि राजा सविनय नगर की  
 जमाने सं. 2054-57 के वरसे 124 के  
 (व.नं 1220 2 शक 2-03 वीध पर गरी कि 3/7  
 रमेश कि 4/2, अन्तराम कि 4/2, रामदास कि  
 4/2 पि.डी.राजल कोम गोवर्धन सा. पट्टरी (ब.स.स)  
 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें (व.स.स) के इल्ले का  
 सम्पूर्ण पत्र पूर्ण (सु) है लेकिन जमाने  
 सं. 2054-57 बनाते समय मद्रव से  
 श्रावण सं. 62 के उच्छ्रव न. 1220 पर  
 जहाँ इल्ले रमेश उर हीरालाल कि 4/2  
 दर्ज करने से दूर गया तथा रामदास उर  
 हीरालाल कि 4/2 का नाम (ब.स.स) का वा  
 शिव गया है आगामी जमाने आधार पूर्व  
 2005 इल्ले उपरोक्त मु.स.स. ही (व.स.स) के  
 इल्ले दर्ज हुए किन्तु नामांकन सं. 86 से  
 नही कि 3/7 का ब.स.स, रामदास उर हीरालाल  
 इल्ले 3/7 को कर दिया गया जिसका गौर  
 जमाने आधार वर्ष 2005 में के रिकार्ड अतः  
 सं. 2054-57 से लेकर से 2070-73 की  
 जमाने धर्म तक सं. 1220 पर (व.स.स) के  
 इल्ले में डूरी की जाकर रामदास उर हीरालाल  
 का इल्ले सं. 11/21 के रूपन पर 13/2 किन्तु  
 जाने तथा रमेश उर हीरालाल का कि 4/2 जाने  
 जाने तथा अन्तराम कि 4/2 युक्त (व.  
 जाने के वाक्य विवेक किता है

इसमें उच्छ्रव धर्मना पत्र शिपों  
 पत्रावली एवं 9 48 तथा उच्छ्रव इल्ले का  
 का अवलोकन किता रिकार्ड अवलोकन  
 से तहसील राजाको में के रिकार्ड धर्मना

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

पर से केचित् लघु की पुरे इति है  
इसलिए इन गुणों पर स्वीकार किया जाना  
उचित समझते हैं।

अपरा कोर्ट है कि डायना 136 2R  
Act स्वीकार किया जाकर तद्दीन  
राजाको के उत्तरानुसार ग्राम सावरा  
नागर तद्दीन राजाको के राजन शिवा  
में अग्रणी वन 1220 2कवा 02 वधि  
03 बिल्ला पर दर्ज खातेदारी में रामदास  
उपर हीरालाल का हिस्सा फल 11/21 के लान पर  
13/21 सुद्ध करने 2 मझ उप हीरालाल का नाग  
जो दूर गया है, को 2 मझ उप हीरालाल हिस्सा  
4/21 जोड़ जाने तथा अन्तराम हिस्सा 4/21  
अपवाद रहे जाने के आदेश दिए जाये  
है उपरोक्तानुसार राजन रिकॉर्ड में इनकी  
की जाकर आपवापर लागू सही किया  
जाये। तद्दीन राजाको का आदेश  
जारी है। पत्रावली फंडल सुमार धकर  
आबिल कर है। हुकम सुनाया गया।

उपखंडाधिकारी  
राजाखेड़ा (धौलपुर)